

क्रम सं०	योजना का नाम	उपयोजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट 2025-26		1/4/2024 की वास्तविक स्थिति	31/3/2025 की संभावित स्थिति	वार्षिक परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम		आउटकम हेतु संभावित समयावधि
				राजस्व (हज़ारमें)	पूँजीगत (हज़ारमें)			संकेतक/इकाई	संख्या/मात्रा	संकेतक/इकाई	संख्या/मात्रा	
क - महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा देखभाल हेतु पोषाहार/सामग्री एवं सेवा लाभ												
1	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020141	अनुपूरक पोषाहार योजना 90% केन्द्रांश	गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के औसत दैनिक सेवन (average daily intake) और अनुशंसित आहार भत्ते (recommended dietary allowance) के बीच अंतर को कम करना	1343677.00	0	कुल लाभार्थियों की संख्या 7.67 लाख	कुल लाभार्थियों की संख्या 623186	1. कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाएँ 2. कुल पंजीकृत धात्री महिलाएँ 3. छः माह से तीन वर्ष के बच्चे 4. तीन वर्ष से छः वर्ष के बच्चे	1. 70000 2. 67000 3. 370000 4. 240000	1. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करते हुए उनमें कम वजन की घटनाओं को कम करना एवं कुपोषण को कम करना 2. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करते हुए उनमें बौनेपन की घटनाओं को कम करना 3. बच्चों में अनीमिया को कम करना 4. शिशु मृत्यु दर को कम करना 5. बाल मृत्यु दर को कम करना 6. महिलाओं में ऐनिमिया को कम कर उनके पोषण स्तर में सुधार करना, अनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या को कम करना 7. मातृ मृत्यु दर को कम करना	1- 13.3% से कम 2- 23.7% से कम 3- 50% की कमी लाना 4- प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर 12 से कम 5- प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर 25 से कम 6- 25.2 % तक	वर्ष 2030 तक
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029541	अनुपूरक पोषाहार योजना 10% राज्यांश		1.00	0							
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020103	अनुसूचित जाति केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार योजना 90% केन्द्रांश		179125.00	0							
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029503	अनुसूचित जाति केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार योजना 10% राज्यांश		1.00	0							
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020105	अनुसूचित जनजाति केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार योजना 90% केन्द्रांश		461628.00	0							
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029505	अनुसूचित जनजाति केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार योजना 10% राज्यांश		51292.00	0							
2	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020135	राष्ट्रीय पोषण मिशन 90 प्रतिशत केन्द्रांश	छः वर्ष के कम आयु के बच्चों में बौनेपन, कम वजन एवं वेस्टिंग की दर को प्रति वर्ष दो प्रतिशत की दर से कम करना छः वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता की दर को प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत की दर से कम करना	396234.00	0	792043 लाभार्थी	810100 लाभार्थी	1-केंद्रों में कुल वजन मशीनों की संख्या 2- आ०बा० कार्यकर्त्रियों को उपलब्ध एवं संचालित मोबाइल फोन 3- CBE की वार्षिक संख्या 4-आ०बा० केंद्रों की संख्या जिनके द्वारा पोषण टैकर ऐप पर शत प्रतिशत डेटा फीड किया गया	1-प्रति केंद्र 4 मशीनें 2-कुल 20070 3- 481680 4- 20070	7 - प्रति लाख जीवित प्रसवों में 70 से कम		
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029535	राष्ट्रीय पोषण मिशन 10 प्रतिशत राज्यांश		1.00	0							
3	मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (राज्य सहायतित) 2235021021600		स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार एवं शारीरिक विकास के लिये ₹0 20 प्रति लाभार्थी प्रति सप्ताह की दर से वर्ष में कुल 52 सप्ताह हेतु सप्ताह में दो दिन अण्डा, दो दिन केला चिप्स दिये जाने हेतु।	299136.00	0	कुल पंजीकृत बच्चे	कुल पंजीकृत बच्चे	03 से 06 वर्ष के कुल पंजीकृत बच्चे जिन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा	239551			

4	मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना (राज्य सहायतित) 2235021021800		स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार एवं शारीरिक विकास के लिये प्रत्येक बच्चे को प्रति सप्ताह 02 दिन 100 मिली दूध प्रति दिन की दर से दिये जाने हेतु।	140000.00	0	कुल पंजीकृत बच्चे	कुल पंजीकृत बच्चे	03 से 06 वर्ष के कुल पंजीकृत बच्चे जिन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा	239551			
5	मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना (राज्य सहायतित) 2235021033500			139601.00	0	कुल पंजीकृत गर्भवती/धात्री महिलार्य	कुल पंजीकृत गर्भवती/धात्री महिलार्य	आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	1,11,805 महिलाएं			
6	मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना (राज्य सहायतित) 2235021033200		प्रदेश में धात्री माताओं एवं नवजात शिशुओं को प्रसव पश्चात अतिरिक्त देखभाल (अतिरिक्त गर्माहट, अतिरिक्त स्वच्छता एवं अतिरिक्त पोषण) प्रदान कर एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दो दिन अण्डा व 02 दिन केला चिप्स/खजूर अतिरिक्त पोषाहार के रूप में वर्ष में 52 सप्ताह उपलब्ध कराया जाता है।	226278.00	0	37961	37961	आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलार्य जिन्हें प्रसवोपरान्त किट उपलब्ध करवायी जायेगी	1.20 लाख			
7	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020136	किशोरी बालिका योजना 90% केन्द्रांश	11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एक विशेष हस्तक्षेप के रूप में तैयार की गई थी, ताकि पोषण और लैंगिक अभाव के अंतर-पीढ़ीगत जीवन-चक्र को तोड़ा जा सके और देश में किशोरियों के आत्म-विकास के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान किया जा सके। इसके अंतर्गत आंकाक्षाशील जनपदों हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को माह में 25 दिन हेतु प्रतिवर्ष पोषाहार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।	206447.00	0	33783	68409	किशोरी बालिकाओं की संख्या जिन्हें पोषाहार दिया जाएगा	71829	1. किशोरियों में ड्रप आउट की घटनाओं को समाप्त करना 2. किशोरियों में अनीमिया को कम करना		
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029536	किशोरी बालिका योजना 10% राज्यांश		1.00	0							
8	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020101 &14	आंगनवाड़ी केन्द्रों में मेडीसिन किट्स एवं प्री -स्कूल किट्स तथा साड़ी/सूट की आपूर्ति 90 प्रतिशत केन्द्रांश	03 से 06 वर्ष के बच्चों को प्री-स्कूल एजुकेशन एवं आकस्मिक आवश्यकता हेतु प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमशः एक प्री-स्कूल किट व एक मेडिसिन किट प्रदान करना। कार्य के दौरान आंगनवाड़ी कार्मिकों के परिधान में एकरूपता के उद्देश्य से कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को साड़ी/सूट के दो सेट की आपूर्ति हेतु।	130450.00	0	कुल प्री स्कूल किट 0 कुल मेडिसिन किट 0 कुल आंगनवाड़ी कार्मिक 31752	कुल प्री स्कूल किट कुल 20070 कुल मेडिसिन किट 20070 आंगनवाड़ी कार्मिक- 40138	1-कुल मेडिसिन किट 2-कुल प्री-स्कूल किट 3-आंगनवाड़ी कार्मिकों हेतु पोषाक।	01- 20070 02- 20070 03- 40138	1- छह वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में प्रारंभिक विकास और सीखने के परिणामों को बढ़ावा देकर स्कूल रेडीनेस को बढ़ाना 2- लाभार्थियों के रोगों का प्राथमिक स्तर पर नियंत्रण 3- आंगनवाड़ी कार्मिकों में पहचान एवं अनुशासन।	1- शत प्रतिशत बच्चों में	
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029501 &14	आंगनवाड़ी केन्द्रों में मेडीसिन किट्स एवं प्री -स्कूल किट्स तथा साड़ी/सूट की आपूर्ति 10 प्रतिशत राज्यांश		1.00	0							
Infrastructure & Capital expenditure												

9	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020124	आईसीडीएस परियोजना/कार्य./आं बा0 केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	भारत सरकार के मानकानुसार 20067 आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपकरण/फर्नीचर 5 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराया जाता है।।	3.00	0			01- आ०बा० केन्द्रों की संख्या जहां फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा		समस्त आवश्यक फर्नीचर युक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	20070		
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029524	आईसीडीएस परियोजना/कार्य./आं बा0 केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं 10 प्रतिशत् राज्यांश		1.00	0								
10	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021020148	सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	पारंपरिक आंगनवाड़ी केन्द्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचन प्रदान करते हुए सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र में अपग्रेड किया जा रहा है। जिसमें भारत सरकार से निम्न कार्य/सामग्री हेतु धनराशि का प्राविधान रखा गया है:- 1-रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 2-एल.ई.डी., 3-पोषण वाटिका, 4-आर.ओ. 5-वाई.फाई, 6-शौचालय, आदि की व्यवस्था है।	27001.00		351	621	सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	270	समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर पोषण वितरण एवं प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत किया जाएगा	20070	2030	
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 2235021029548	सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र 10 प्रतिशत् केन्द्रांश		1.00									
11	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 4235021020108	आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने के लिए आंगनवाड़ियों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना जिससे आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवारत बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी एवं केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेगे।			3	4214 (पोषण ट्रेकर)	5030	नव निर्मित होने वाले भवनों की संख्या	3124	बुनियादी एवं आधुनिक सुविधाओं युक्त कुल विभागीय आंगनवाड़ी भवन अथवा सामुदायिक भवन जो महिला एवं बाल्य स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन हेतु विशेष रूप से चिह्नित एवं समर्पित हैं।	20070	2047
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 4235021029508	आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण 10 प्रतिशत् केन्द्रांश		0	1.00				(वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा 3940 भवनों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिनके सापेक्ष 816 भवनों का निर्माण कार्य 2024-25 में गतिमान है)				
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 4235021020101	अनुसूचित जाति केन्द्रों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण 90 प्रतिशत् राज्यांश			0	3.00							
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 4235021029501	अनुसूचित जाति केन्द्रों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण 10 प्रतिशत् राज्यांश				1.00							
	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 4225028000102	अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण 90 प्रतिशत् केन्द्रांश			0	3.00							

	सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 4225028009502	अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण 10 प्रतिशत राज्यांश		0	1.00								
12	पी.एम. जनमन योजना 4235021020109	पी.एम. जनमन योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने के लिए आंगनवाड़ियों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना	0	3.00								
13	मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं उच्चोत्तरण योजना (राज्य सहायतित) 2235021020500		स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने के लिए आंगनवाड़ियों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना जिससे आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी एवं केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेंगे।	0	10000.00								
14	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण (राज्य सहायतित) 2235021020600		इस योजना से निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय जो विभागीय भवन/सरकारी भवन में संचालित है उनके निर्माण से सम्बन्धित कार्य हेतु धनराशि का उपयोग किया जायेगा। तथा निदेशालय म.स. एवं ब.वि. विभाग के कार्यालय में महिला कल्याण विभाग के कार्यालय को शिफ्ट किया गया है जिस हेतु समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के बैठने हेतु निदेशालय की छत पर भवन का निर्माण किया जाना है।	0	80000.00								
महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएँ : महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी योजनाएँ													
15	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021030111	जेण्डर बजटिंग 90 प्रतिशत केन्द्रांश	जेण्डर बजटिंग का सम्बन्ध लिंग आधारित कानूनन, नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना है।	1461									
	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021039511	जेण्डर बजटिंग 10 प्रतिशत राज्यांश		1									
16	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021020109	प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एस्करो खाता 90 प्रतिशत राज्यांश	प्रथम एवं द्वितीय प्रसव पर पात्र महिलाओं को गर्भावस्था में हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करना एवं अतिरिक्त देखभाल हेतु क्रमशः ₹0 5000/- एवं ₹0 6000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करना।	217497.00		9799	79278	1- प्रथम बच्चे पर लाभान्वित महिलाएं- 02- द्वितीय बच्चे पर लाभान्वित गर्भवती महिलाएं	1- 58173 2- 21105	1-कार्यबल में महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि का स्तर 2- उच्च शिक्षा में बालिकाओं की प्रतिशतता 3- प्रसवोपरांत माता के कार्यस्थल में वापस प्रतिभाग करने में सक्षम मामलों की संख्या			
	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021029509	प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एस्करो खाता 10 प्रतिशत राज्यांश		1.00	0								
17	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021020127	स्टेट हब फॉर वीमेन 90 प्रतिशत केन्द्रांश	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से मिशन शक्ति-सामर्थ्य योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर SHEW के	48241.00		0		01- कुल महिलाओं की संख्या जिन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई		4- कुल औद्योगिक खेतों के सापेक्ष क्रेच केंद्रों की संख्या			

	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021029527	स्टेट हब फॉर वीमेन 10 प्रतिशत् राज्यंश	माध्यम से NHEW एवं DHEW के साथ समन्वयन कर मिशन शक्ति को क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार के मानकानुसार कुल 08 कार्मिकों एवं जनपद स्तर पर संचालित डिस्ट्रिक्ट हब फॉर इम्पावरमेंट फॉर वीमेन में कुल 08 कार्मिकों तथा राज्य एवं जनपद स्तर में प्रशिक्षण व्यय, कंटीजेन्सी हेतु।	1.00	0			02- महिलाओं की संख्या जिन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़ कर लाभ प्रदान किया गया 3- कुल आयोजित सेमिनार, प्रशिक्षण एवं जन भागीदारी कार्यक्रम	5- कार्यालयों एवं संस्थानों की संख्या जहां लेबर laws के अनुसार मातृत्व संबंधी इनेबलिंग वातावरण तैयार किया गया है 6- महिलाओं की संख्या जिन्हें विभिन्न विभागों की महिला उन्मुखी योजनाओं से जोड़ा गया है। 7- कुल उत्तीर्ण छात्रों में बालिकाओं की प्रतिशतता
18	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021020134	पालना क्रेच योजना 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	भारत सरकार के मानकानुसार योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की प्राथमिक शिक्षा एवं देखरेख तथा पोषण की गतिविधियां हेतु योजना संचालित है ताकि कार्यबल में महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि हो।	95472.00	0			1- क्रेच केन्द्रों की संख्या 2- लाभान्वित महिलाओं की संख्या 3- लाभान्वित बच्चों की संख्या	1- 34 2- 3-
	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021029534	पालना क्रेच योजना 10 प्रतिशत् राज्यंश		1.00	0				
19	निर्भया फण्ड 4235021030102	निर्भया फण्ड योजना 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	देश के सभी जनपदों में कामकाजी महिला छात्रावास की सहायता से प्रदेश के ऐसी किशोरियों, बालिकाओं एवं एकल महिलाएं जो उच्च शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करती हैं, को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान प्रदान करने के साथ ही नाममात्र की दरों पर आवास प्रदान किये जाने हेतु योजनान्तर्गत महिला छात्रावास निर्माण किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं के बच्चों में 18 वर्ष तक बालिकाओं एवं 5 वर्ष तक के बालकों की देख रेख हेतु अपनी मां के साथ छात्रावास में रहने की सुविधा प्रदान की जायेगी।	0	232498.00			1- समस्त बुनियादी सुविधाओं युक्त कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या 2- निवासरत बालिकाओं की संख्या 3- निवासरत कामकाजी महिलाओं की संख्या	1- 07 भवन
	निर्भया फण्ड 4235021039502	निर्भया फण्ड योजना 10 प्रतिशत् राज्यंश		0	1.00				
20	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021030107	सखी निवास 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	महिलाओं एवं किशोरियों विशेषकर निर्बल वर्ग की कामकाजी महिलाओं एवं अध्ययनरत किशोरियों को कम दरों पर सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण आवास उपलब्ध कराना।	4375.00		0	0	1- कुल सखी निवास की संख्या 2- निवासरत बालिकाओं की संख्या	
	मिशन शक्ति-सामर्थ्य 2235021039507	सखी निवास 10 प्रतिशत् राज्यंश		1	0				
21	कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टाॅफ की व्यवस्था (राज्य सहायतित) 2235021031800		महिलाओं एवं किशोरियों विशेषकर निर्बल वर्ग की कामकाजी महिलाओं एवं अध्ययनरत किशोरियों को कम दरों पर सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण आवास उपलब्ध कराना।	1.00		0		1- कुल छात्रावासों की संख्या 2- निवासरत बालिकाओं की संख्या	1- 02 (हरिद्वार एवं देहरादून)
22	किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था (राज्य सहायतित) 2235021032700		महिला एवं किशोरियों में माहवारी एवं स्वच्छता व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए कम दरों पर सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराना।	10000.00		0		1-कुल महिलाएं 2-कुल वितरित नैपकिन	

22	नन्दा गौरा योजना (राज्य सहायतित) 2235021032900		जन्म के समय लैंगिक पक्षपात को दूर करने तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ₹0-72,000/- वार्षिक आय वाले परिवार की दो बालिकाओं को जन्म के समय ₹0-11,000/- तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर ₹0-51,000/- की धनराशि दी जाती है।	1578400.00	0	0	1- 9500 जन्म के समय 2- 28900 बारहवीं उत्तीर्ण करने पर	1-जन्म के समय लाभान्वित कन्याओं की संख्या 2-कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर लाभान्वित बालिकाओं की संख्या	1- 10000 2- 300000			
23	बाल कल्याण निधि योजना (राज्य सहायतित कार्पस फण्ड)		योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को लाभान्वित करना।	0.00	0			1-कुल सम्मानित बालिकाएं	1- 78	बालिकाओं को उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना।		
24	राज्य तिलू रौतेली पुरस्कार (राज्य सहायतित) 2235021020900		निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें प्रत्येक वर्ष ₹0 51,000/- की दर 13 महिलाओं एवं राज्य की आंगनबाड़ी केन्द्रों से सम्बन्धित कार्यकर्त्रियों द्वारा केन्द्र में उत्कृष्ट कार्य किये जाने पर ₹0 51,000/- की दर से कुल 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मान पुरस्कार दिया जाता है।	3982.00	0	0	13 महिलाओं/ किशोरियां। 39 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	1- पुरस्कृत महिलाओं/किशोरियां की संख्या 2 - पुरस्कृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की संख्या	1- 13 2- 39	महिलाओं में सांस्कृतिक साहसिक, कला एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करने की अभिरुचि एवं प्रेरणा में संवर्द्धन।		
25	उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति योजना (राज्य सहायतित) 2235021033100		भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन संचालन हेतु।	3000.00	0					महिलाओं हेतु स्वरोजगार एवं क्षमता संवर्द्धन तथा संबन्धित विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योजनाओं का संचालन।		
26	मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना (राज्य सहायतित) 2235021032400		राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आजीविका एवं आर्थिक विकास होगा।	20000.00	0			कुल महिलाओं की संख्या जिन्हें योजना का लाभ दिया गया		योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाओं का कार्यबोझ कम होगा।		
27	उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना (राज्य सहायतित) 2235021021200		योजना के तहत संस्थाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना	10000.00				कुल महिलाओं की संख्या जिन्हें योजना का लाभ दिया गया		लाभान्वित महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।		

29	मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना (राज्य सहायतित) 2235021033600		1-मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2023 को "मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना" के क्रियान्वयन हेतु घोषणा की गयी है। जिसे राज्य के समस्त जिलों में संचालित किया जायेगा। यह योजना एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर कारगर सिद्ध होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है।	1.00	0			ए एकल/निराश्रित/विधवा महिलायें जिन्हें उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है।	500	योजना के अन्तर्गत एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर कारगर सिद्ध होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है।		
30	मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (आबकारी सेस के सापेक्ष राज्य सहायतित) 2235021033800		उक्त काॅर्पस फण्ड विभाग को विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सेस) की धनराशि को काॅर्पस फण्ड के रूप में विभागान्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के माध्यम से संचालित किया जायेगा जिसके तहत राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अंतरालों को भरा जायेगा व आवश्यकता एवं प्रस्थिति के अनुसार नवाचार योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जायेगा। प्रमुख रूप से उक्त निधि के तहत आपदा/दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, निराश्रित महिलाओं के जीविकोपार्जन व वृद्ध महिलाओं लिए जीवन निर्वहन की समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा।	80000.00								
महिलाओं की सुरक्षा संबंधी योजनाएँ												
31	मिशन शक्ति- सम्बल 2235021030101	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन 100 प्रतिशत केन्द्रांश	01-लिंग पक्षपात पूर्ण लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना। 02-बालिकाओं के अस्तित्व एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना। 03-बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना।	43002.00	0	लिंगानुपात 939:1000	लिंगानुपात 939:1000	1- लैंगिक असमानता के विरुद्ध आयोजित कुल कार्यक्रम 2- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु आयोजित कार्यक्रम		1- लिंगानुपात में सुधार। 2- प्रत्येक उत्तरोत्तर कक्षाओं में बालिकाओं के एनरोलमेंट रेश्यो में वृद्धि 3-बालिकाओं पोषण स्तर BMI में सुधार का		2030

32	मिशन शक्ति-सम्बल 2235021030106	नारी अदालत 100 प्रतिशत केन्द्रांश	महिलाओं के विभिन्न प्रकरणों (उत्पीड़न, सबवर्जन, अधिकारों का हनन एवं हक) के निवारण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में स्थापित करना।	366.00	0			1- ग्राम पंचायत स्तर पर कुल गठित नारी अदालतें 2- नारी अदालतों में कुल पंजीकृत मामले 3- नारी अदालतों के माध्यम से कुल निस्तारित मामले 4- नारी अदालत हेतु कुल की गई बैठकें	स्तर 4- महिलाओं एवं बालिकाओं में रक्ताल्पता की कमी में सुधार 5- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा/अपराधों में कमी 6- महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण में लगने वाले समय में कमी 7- घरेलू हिंसा/कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न आदि घटनाओं की रिपोर्टिंग का स्तर 8- राज्य में घरेलू हिंसा आदि हिंसा की घटनाओं में महिलाओं को मिलने वाली तात्कालिक स्वास्थ्य, पुलिस, एवं निःशुल्क अधिवक्ता जैसी सुविधाओं की पहुँच में लगने वाला समय 9- मौलिक अधिकारों की जानकारी का स्तर
33	मिशन शक्ति-सम्बल 2235021030108	राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 100 प्रतिशत केन्द्रांश	योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 24*7 टोल फ्री 181 के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस/फायर/एम्बुलेंस सर्विस/1098 चाईल हेल्पलाइन इत्यादि वन स्टॉप सेंटर से समन्वयन कर सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। भारत सरकार द्वारा वमेन हेल्पलाइन मैनेजमेंट में 12 कर्मिकों को नई गाईडलाइन के अनुसार मानेदय व इसके साथ ही रु० 330/- बीमा कराया जाना है।	5522.00	0			1- जानकारी हेतु कुल प्राप्त कॉल 2- समस्या समाधान हेतु कुल प्राप्त कॉल 3- कुल निस्तारित मामले 4- कुल फॉलो अप	
34	मिशन शक्ति-सम्बल 2235021030109	वन स्टॉप सेंटर 100 प्रतिशत केन्द्रांश	योजना के अन्तर्गत एकल खिड़की प्रणाली के अनुरूप कार्य करते हुए दुर्व्यवहार/अपराध से पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब आवश्यक सेवाएं, सहायता, सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास हेतु चिकित्सक, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी एवं परामर्शदाता, की सेवाएं की ही परिसर के अन्तर्गत 24*7 उपलब्ध करायी जाती हैं।	46552.00	0			1- कुल दर्ज मामले 2- कुल मामले जिनमें काउंसिलिंग प्रदान की गई 3- कुल मामले जिनमें आश्रय प्रदान किया गया 4- कुल मामले जिनमें पुलिस सहायता प्रदान की गई 5- कुल मामले जिनमें विधिक सहायता प्रदान की गई 6- कुल निस्तारित एवं लंबित मामले	
35	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (राज्य सहायतित) 2235021031300		सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मिकों के साथ अभेदता, आपत्तिजनक व्यवहार को रोकना व महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के सूचारु रूप से क्रियान्वयन जैसे विविध गतिविधियां/ प्रचार-प्रसार / प्रशिक्षण आदि कार्य हेतु।	1000.00	0	105 परियोजना	105 परियोजना	1- कुल आयोजित कार्यक्रमों की संख्या 2- कुल अच्छादित लोगों की संख्या 3- कुल सेवित लाभार्थियों की संख्या	
36	राज्य महिला आयोग की स्थापना (राज्य सहायतित) 2235021031000		महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु वैधानिक संस्था गठित है जिसका व्यय आयोजनतर मद से किया जा रहा है।	16220.00	0	193492	164574	1- महिला आयोग द्वारा दर्ज प्रकरणों का निस्तारण 2- आयोजित महिला अधिकार कैम्प	
37	मिशन शक्ति-सम्बल 4235021030101	वन स्टॉप सेंटर का निर्माण 100 प्रतिशत केन्द्रांश		0	11184.00	11	12	विभागीय भवनों में संचालित कुल OSCs की संख्या	14

38	बाल संरक्षण आयोग (राज्य सहायतित) 2235021020605		बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित है। आयोग द्वारा पोक्सो/जे0जे0 एक्ट/बाल श्रम शोध आदि कार्य एवं जन-जागरूकता कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठियों/प्रशिक्षण/शिविर कार्यक्रमों का आयोजन।	13278.00	0	09 कार्मिक	09 कार्मिक	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संचालन।		बाल अधिकारों का संरक्षण		
आंगनवाड़ी कार्मिकों का मानदेय तथा प्रशासनिक, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण संबंधी योजनाएं/कार्य												
39	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021020102 &14	समन्वित बाल विकास योजना 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	103 बाल विकास परियोजनाओं को भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्मिकों का मानदेय, नियमित कार्मिकों के वेतन के रिम्बर्समेन्ट, आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया, कंटीजेन्सी मद आदि हेतु।	2241354.00	0	31752	40138	01-बाल विकास परियोजना कार्यालय- 02-कार्यरत आंगनवाड़ी कार्मिक	01-105 02- 32199	प्रत्येक इकाई स्तर (ग्राम/मजरे) पर मातृत्व एव शिशु देखभाल तथा वैंगिक समानता के सम्बन्ध में शासकीय प्रयासों का सशक्त प्रतिनिधित्व एवं जागरूकता।		
	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021029502 &14	समन्वित बाल विकास योजना 10 प्रतिशत् राज्यांश		1.00	0							
	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021020101 &14	समन्वित बाल विकास योजना अन्0जा0 क्षेत्र 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वाडों में आंगनवाड़ी कर्मियों को केन्द्र सहायतित मानदेय, की व्यवस्था की जाती है।	153491				आंगनवाड़ी कर्मियों की संख्या	3260			
	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021029501 &14	समन्वित बाल विकास योजना अन्0जा0 क्षेत्र 10 प्रतिशत् राज्यांश		1.00	0							
	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021020101 &14	समन्वित बाल विकास योजनाएं जनजातीय क्षेत्र 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ वाडों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को केन्द्र सरकार की ओर से मानदेय की व्यवस्था की जाती है।	60703				आंगनवाड़ी कर्मियों की संख्या	1227		0	
	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021029501 &14	समन्वित बाल विकास योजनाएं जनजातीय क्षेत्र 10 प्रतिशत् राज्यांश		1.00	0							
40	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021020104 &14	समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था 90 प्रतिशत् केन्द्रांश	जिला स्तरीय कार्यालय में कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य नियमित कार्मिकों के वेतन की प्रतिपूर्ति, गाड़ियों के संचालन, ईंधन, अनुरक्षण हेतु।	34273.00	0	13	13	1-जनपद कार्यालय	13	13 जनपदों के माध्यम से 103 परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन होगा। तथा जनपद स्तर पर प्रभावी समन्वयन करना।		
	सक्षम आंगनवाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021029504 &14	समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था 10 प्रतिशत् राज्यांश		1.00	0							
41	राज्य मानदेय 2235021020303	समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला मानदेय	राज्य में कार्यरत आं0बा0 कार्यकर्त्री/सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्त्रियों को राज्य सरकार द्वारा पारिश्रमिक प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है।	1469660.00	0			आंगनवाड़ी कार्मिक।	32199			

	राज्य मानदेय 2235021020202	अनुसूचित जाति केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला मानदेय (राज्य योजना)	अनुसूचित जाति बाह्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	174430.00	0			आंगनबाड़ी कार्मिक।	3260			
	राज्य मानदेय 2235022000300	समन्वित बाल विकास योजनाएं अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (राज्य योजना)	अनुसूचित जनजाति बाह्य ग्रामों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	60000.00	0			आंगनबाड़ी कार्मिक।	1227			
42	सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021020108	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/ सहायिकाओं का प्रशिक्षण 90 प्रतिशत केन्द्रांश	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं तथा मिनी कार्यकर्त्रियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।	3.00	0			टोकन मनी से प्रस्तावित।		प्रत्येक इकाई स्तर (ग्राम/मजरे) पर मातृत्व एवं शिशु देखभाल तथा लैंगिक समानता के सम्बन्ध में शासकीय प्रयासों का सशक्त प्रतिनिधित्व एवं जागरूकता हेतु प्रशिक्षित एवं क्षमतावान कार्मिकों की उपस्थिति।	40138 (कुल कार्मिक)	
	सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 2235021029508	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/ सहायिकाओं का प्रशिक्षण 10 प्रतिशत राज्यांश		1.00	0							
43	निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था (राज्य सहायित) 2235021021500		परियोजना/जनपद एवं निदेशालय स्तर पर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले प्रशासकीय व्यय हेतु	248133.00	0			1- जनपद 2- परियोजनाएं	1- 13 2- 105			
44	विशिष्ट दिवसों पर समारोह (राज्य सहायित) 2235021020602		अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, योग दिवस, गणतंत्र दिवस पर विभागीय झांकी का प्रस्तुतीकरण, स्थापना दिवस, बाल दिवस, स्वच्छता माहमारी दिवस आदि का समारोह का आयोजन व क्रियान्वयन हेतु।	2500.00	0	NA	NA	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, योग दिवस, गणतंत्र दिवस पर विभागीय झांकी का प्रस्तुतीकरण, स्थापना दिवस, बाल दिवस, स्वच्छता माहमारी दिवस आदि का समारोह का आयोजन व क्रियान्वयन		समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जनजागरूकता।		
45	आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष (रा0यो0) 2235021032210 0		आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	1.00								
महायोग 15, 30, 31				10243807	333698							
राजस्व एवं पूंजीगत योजनाओं के बजट का कुल योग				10577505	100%							
महिलाओं एवं बच्चों हेतु पोषाहार/सामग्री एवं सेवा लाभ				3573873	33.78%							
मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य योजनाओं में अवसरचना/पूंजीगत योजनाओं का कुल बजट				117021	1.10%							
महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी योजनाएँ				2072435	19.59%							
महिलाओं की सुरक्षा संबंधी योजनाओं का कुल बजट				125940	1.19%							

महिला सशक्तीकरण संबंधी योजनाओं में पूँजीगत/निर्माण संबंधी योजना/कार्य का कुल बजट	243683	2.30%
आंगनवाड़ी कार्मिकों का मानदेय तथा प्रशासनिक, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण संबंधी योजनाएँ/कार्य	4444553	42.01%